संख्या: 1/34/2013-आईआर (पार्ट)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।

आईआर प्रभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 20 सितंबर, 2022

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरण के संबंध में किसी भी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत तृतीय पक्ष ऑडिट के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग द्वारा दिनांक 15.04.2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6/2011-आईआर के तहत जारी दिशा-निर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित करने का निर्देश हुआ है, जिन्हें आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के तहत सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों (पीए) द्वारा स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण के कार्यान्वयन और तत्पश्चात उनके सक्रिय प्रकटीकरण का तीसरे पक्ष से ऑडिट कराने के संबंध में मामूली संशोधन के साथ 07.11.2019 को दोहराया गया था।

2 . इसके अलावा, दिनांक 30.06.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/34/2013-आईआर और दिनांक 15.10.2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, लोक प्राधिकरण द्वारा स्वप्रेरणा से प्रकटीकरण के तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट से संबंधित प्रावधान को स्पष्ट और शिथिल किया गया था और यह प्रावधान किया गया था कि *पारदर्शिता ऑडिट करने का कार्य मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरण और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों* द्वारा *संबंधित सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को दिया जा सकता है। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत कोई प्रशिक्षण संस्थान मौजूद नहीं है, पारदर्शिता ऑडिट करने का कार्य किसी भी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान को दिया जा सकता है।*

3. इस विभाग को विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों से अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें विभिन्न लेखा परीक्षा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा ली जाने वाली लेखापरीक्षा लागत में पर्याप्त अंतर, जनशक्ति/पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी, प्रशिक्षण संस्थान की अपनी निर्धारित प्रशिक्षण गतिविधियों में पूर्व-संलग्नता आदि के कारण आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के कार्यान्वयन में सक्रिय प्रकटीकरण के तीसरे पक्ष द्वारा लेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधानों के संबंध में छूट/स्पष्टीकरण की मांग की गई है।

4 . दिनांक 07.11.2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अपने सक्रिय प्रकटीकरणों का तीसरे पक्ष से ऑडिट कराने में आ रही कठिनाइयों के मद्देनजर इस मुद्दे की जांच की

गई है और यह निर्णय लिया गया है कि ***पारदर्शिता ऑडिट कराने का कार्य केंद्र या राज्य सरकारों के अधीन मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी भी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान को दिया जा सकता है।***

5. तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उचित कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त निर्देशों को उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों/सार्वजनिक प्राधिकरणों को व्यापक कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए सूचित किया जाए ताकि उनके सक्रिय प्रकटीकरण का तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट किया जा सके। उपरोक्त सभी संदर्भित कार्यालय ज्ञापन www.dopt.gov.in- अधिसूचनाएं -कार्यालय ज्ञापन और आदेश - आरटीआई पर उपलब्ध हैं।

हस्ता/-
(वर्षा सिन्हा)
संयुक्त सचिव
टेलीफोन: 23092755

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित:

(i) सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067

(ii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव